



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में निवासरत गोंड जनजाति के गहने एवं आभूषण का नृजाति-संग्रहालयवैज्ञानिक संहिताकरण

राज कुमार वर्मा*

* अतिथि व्याख्याता, समाजशास्त्र विभाग अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय पांडातरई जिला कबीरधाम (छ. ग.)

शोध सारांश

परिचय- भारत वर्ष आदिवासी लोक कलाओं के विषय में एक समृद्ध और विकसित संस्कृति के रूप में विश्व विख्यात है। आदिवासी लोक कला और संस्कृति की एक ओर महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसने भारत की सामाजिक एकता एवं राष्ट्रीय अखंडता को भी बढ़ावा देने में अपना उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। भारत के आदिवासी प्राचीन समय में उनके पूर्वजों द्वारा विकसित सांस्कृतिक विरासत को आज पर्यन्त तक सहेज कर रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हालांकि इसके स्वरूपों एवं विशेषताओं में समयानुकूल परिवर्तन भी अवश्य हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ कला रूपों का हास भी हुआ है। इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ में निवासरत गोंड जनजाति की उपजाति मुरिया, माड़िया और धुरवा जनजाति द्वारा गहनों एवं आभूषण धारण करने वाले लोगों द्वारा धारित गहनों एवं आभूषण का नृजाति-संग्रहालयवैज्ञानिक संहिताकरण किया गया है। इस हेतु ऐसे सुचनादाताओं का चयन किया गया है जो गहने एवं आभूषण धारण करते हो तथा उससे संबन्धित विस्तृत एवं गहन जानकारी रखते हो।

उद्देश्य – शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य गोंड जनजाति के उपजाति मुरिया, माड़िया एवं धुरवा जनजाति के सांस्कृतिक धरोहर गहने एवं आभूषण का लिखित संहिताकरण के साथ-साथ सौंदर्यत्मक एवं सामाजिक एवं धार्मिक मान्यता का विश्लेषण करना है।

प्रविधि – शोध के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए वर्णात्मक शोध प्ररचना को सर्वाधिक उपयोगी समझकर प्रस्तुत शोध में प्रयोग किया गया है। वर्णात्मक शोध प्ररचना के अंतर्गत अध्ययन की समस्या से संबन्धित मौलिक तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर संकलन कर उनका वर्णात्मक विवरण प्रस्तुत कर लिखित संहिताकरण किया गया है।

परिणाम एवं विश्लेषण – वर्तमान में बस्तर में निवासरत मुरिया, माड़िया और धुरवा जनजाति द्वारा पारंपरिक आभूषण सिर्फ कुछ ही वृद्ध या कुछ ही विवाहित महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है साथ ही बहुत से युवा लड़कियों तथा महिलाओं द्वारा आधुनिक रूप से निर्मित पीतल, सोना और चाँदी धातु के आभूषण को धारण किया जाता है।

निष्कर्ष – वैश्वीकरण, नगरीकरण, औद्योगीकरण तथा बाजारीकरण के कारण गोंड जनजाति के पारंपरिक आभूषण एवं गहनों को धारण करने के शैली में तेजी से परिवर्तन हुआ है।

कुंजी शब्द – गहने एवं आभूषण, नृजाति-संग्रहालयवैज्ञानिक, गोंड

परिचय-

आभूषण का सौंदर्यात्मक अलंकरण करना अनादि काल से ही आदिवासी संस्कृति के जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। आभूषण किसी भी समाज के पहचान के लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार आभूषण एवं गहने उस समाज विशेष की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक विशेषताओं को परदर्शित करता है। Mohanty et al. (2006) के अनुसार आभूषण में होने वाले शैलियों, नक्काशी, सामाग्री और तकनीकों का खजाना आदिवासियों को युगों से विरासत में मिली हों। इसी विरासत को आदिवासियों द्वारा प्राचीन समय से ही सहज कर रखते आ रहे हैं परन्तु संस्कृतिकरण, परसंस्कृतिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण आदि के प्रभाव के कारण आभूषण में उपयोग होने वाले कच्चेमाल, नक्काशी और उसके स्वरूप में समानुकूल परिवर्तन भी हुआ है। आदिवासी समुदाय द्वारा प्रारम्भ से ही हड्डी, हाथी दांत, लकड़ी, मिट्टी, मोती, सीप आदि वस्तुओं के ऊपर नक्काशी कर आभूषण का निर्माण करते हैं तथा शारीरिक सजावट के रूप में धारण करते हैं (Yothers & Gangadharan 2000)। मानव समुदाय द्वारा धातु खोज करने के साथ ही आभूषण निर्माण करने के लिए हड्डी, हाथी दांत, लकड़ी, मिट्टी, मोती, सीप आदि के स्थान पर तांबा, कांसा, चाँदी, सोना जैसे धातु का उपयोग का प्रचलन बढ़ने लगा। ठोस एवं कीमती धातुओं का उपयोग आभूषण निर्माण में होने कारण विभिन्न मानव समुदाय में आभूषण से संबन्धित सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं में धीरे-धीरे परिवर्तन होने लगा है।

Gowda (2018) भारतीय जनजातियों द्वारा आभूषण को धारण करने का मुख्य उद्देश्य सौंदर्यात्मक अलंकरण के साथ-साथ यह धार्मिक जनजीवन से घनिष्ठ संबंध रखता है। आदिवासी संस्कृति में आभूषण का महत्व उसी प्रकार से है जिस प्रकार गोदना का है। आभूषण से संबन्धित अलग-अलग समुदाय में भिन्न-भिन्न प्रकार से अवधारणा या मान्यता पाया जाता है जो आभूषण को सामाजिक जनजीवन से घनिष्ठ रूप से जोड़ता है। Dwivedi (2016) के अनुसार आदिम मानव का मानना था कि भौतिक वस्तुओं को आत्माओं द्वारा निर्जीव वस्तुओं से जोड़ा जाता था। इसी तरह के मान्यताओं के कारण बहुत से मानव समुदाय के आभूषणों का संबंध जादू, टोना-टोटका, धार्मिक चिन्ह, गोत्र चिन्ह, वंश आधारित आभूषण हो सकता है। भारत के जातीय समुदाय के साथ-साथ जनजाति जनजीवन के संस्कृतियों में भी अनुष्ठानों को प्रतिबिम्बित करने के लिए आभूषणों को एक सशक्त माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाग, चन्द्रमा, सूर्य, गोत्र चिन्ह आदि प्राकृतिक चिन्हों का उपयोग आभूषण निर्माण करने में आमतौर पर किया जाता है (Sindu & Jahan, 2018)। आभूषण सौंदर्यात्मक बोध के साथ-साथ मानव समुदाय के तकनीकी विकास के इतिहास को भी उजागर करने का एक सशक्त माध्यम है इसके साथ ही आभूषण को निर्माण करने के लिए उपयोग होने वाले कच्चे माल का चयन तथा उसकी उपयोगिता भी आदिवासी जनजीवन के देशज ज्ञान और इसके उद्विकासीय उपयोगिता को परदर्शित करता है।

संग्रहालय एक ऐसा व्यापक विषय क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव-जन्तुओं के पुरावशेष से लेकर जीवित जीव जन्तुओं के अवशेषों को संकलन कर उसका संरक्षण और सुरक्षण करने के साथ-साथ संग्रहालय वस्तु से जुड़ी विस्तृत विवरण को भी संग्रहण करके रखने में मुख्य भूमिका अदा करता है। संग्रहालय में संरक्षित विभिन्न प्रकार के वस्तु के माध्यम से उसके उद्विकासीय क्रम से लेकर वर्तमान तक विस्तृत विवरण, प्रसार, विभिन्नता से संबंधित जानकारी एकत्रित करने का एक सशक्त माध्यम है। विश्व के साथ भारत में भी विभिन्न प्रकार के संग्रहालय का विकास हुआ है। इसी क्रम में नृजाति-संग्रहालय एक ऐसा विषय क्षेत्र है जिसमें विभिन्न मानव समाज से जुड़ी हुई रीति-रिवाज, परंपरा, वेषभूषा, आभूषण, गोदना, एवं अन्य भौतिक एवं अभौतिक सामाग्री को संरक्षण, सुरक्षण एवं लिखित संहिताकरण के साथ-साथ भौतिक साक्ष्य के रूप में संग्रहित किया जाता है। इसी तारतम्य में वर्तमान शोध पत्र में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में निवासरत गोंड जनजाति के गहने एवं आभूषण का नृजाति-संग्रहालयवैज्ञानिक लिखित एवं छायाचित्र के माध्यम से संहिताकरण के साथ-साथ आभूषण के निर्माण करने की तकनीक, कच्चे माल का चयन और इसके सामाजिक और धार्मिक मान्यता का पता लगा कर संरक्षण करने का प्रयास किया गया है।

शोध के उद्देश्य-

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य “छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में निवासरत गोंड जनजाति के गहने एवं आभूषण का नृजाति-संग्रहालयवैज्ञानिक संहिताकरण” करना है। आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण, नगरीकरण तथा समाजीकरण के दौर में विघटित होती हुई संस्कृति के दृष्टिकोण में यह एक ज्वलनशील विषय है। इस दृष्टिकोण से शोध पत्र के उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. गोंड जनजाति के उपजाति मुरिया, माड़िया एवं धुरवा जनजाति के पारंपरिक आभूषण का संहिताकरण करना।
2. गोंड जनजाति के उपजाति मुरिया, माड़िया एवं धुरवा जनजाति के पारंपरिक आभूषण सौंदर्यत्मक एवं सामाजिक एवं धार्मिक मान्यता का विश्लेषण करना।
3. गोंड जनजाति के उपजाति मुरिया, माड़िया एवं धुरवा जनजाति के पारंपरिक आभूषण में हो रहे विघटन का हस्तक्षेपीय सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध प्रविधि-

शोध की प्रकृति

शोध के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए वर्णात्मक शोध प्ररचना को सर्वाधिक उपयोगी समझकर प्रस्तुत शोध में प्रयोग किया गया है। वर्णात्मक शोध प्ररचना के अंतर्गत अध्ययन की समस्या से संबंधित मौलिक तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर संकलन कर उनका वर्णात्मक विवरण प्रस्तुत कर संहिताकरण किया गया है।

अध्ययनित समूह –

भारत में निवास करने वाले 8.04 प्रतिशत जनसंख्या वाले जनजातियों में गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति होने के साथ-साथ विभिन्न उपजातियाँ हैं। भारत सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संसोधन) अधिनियम 1976 तथा 2000 के अधिनियम संख्या 28 द्वारा वर्णित गोंड जनजाति के उपजातियों में से इस शोध में बस्तर संभाग में निवासरत मुरिया, माड़िया और धुरवा जनजाति को शामिल किया गया है। गोंड जनजाति के उपजाति मुरिया, माड़िया और धुरवा बस्तर संभाग के सभी जिलों में सघन रूप से निवास करते हैं। इसके साथ ही दोरला, भतरा, हल्बा, राजगोंड आदि अन्य जनजातियाँ भी निवास करती है लेकिन इनकी जनसंख्या अल्प रूप से हैं।

निदर्शन -

शोध के उद्देश्य एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उद्देश्य मूलक निर्देशन प्रणाली का समग्र में से इकाइयों को चुनने के लिए उपयुक्त समझकर उपयोग किया गया है। तथ्यों के संकलन करने के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला के दरभा ब्लाक के ग्राम चितापुर, बस्तानार ब्लाक के छोटेकीलेपाल और बरछेपाल ग्राम, दंतेवाड़ा जिला के गीदम ब्लाक के घोटपाल ग्राम तथा नारायणपुर जिला के ओरछा ब्लाक के गुदाड़ी ग्राम से ऐसे सूचनादाताओं का चयन किया गया जो आभूषण को धारण करते हों साथ ही पारंपरिक आभूषण का इतिहास, समाजिक तथा धार्मिक मान्यताओं से संबंधित वृहद जानकारी रखता हों।

तथ्य संकलन के उपकरण

शोध से संबंधित प्राथमिक तथ्यों एवं सूचनाओं का संकलन करने के लिए साक्षात्कार निर्देशिका, समूहवार्ता, केंद्रीय समूहवार्ता, अर्धसहभागी एवं असहभागी अवलोकन पद्धति जैसे गुणात्मक शोध उपकरणों का उपयोग कर किया गया है। आभूषण को मूर्त रूप देने के लिए छायाचित्र लेने के साथ आभूषण के लम्बाई एवं चौड़ाई को मापने के लिए स्लाईडिंग कैलिपर तथा गोलाई को मापने के लिए टेप का उपयोग किया गया है।

परिणाम एवं विश्लेषण-

शोध में शामिल गोंड जनजाति की उपजाति मुरिया माड़िया एवं धुरवा जनजाति के महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के आभूषण एवं गहने को धारण किया जाता है परन्तु वर्तमान में आधुनिकता तथा बाजार में बढ़ते आधुनिक आभूषण के कारण बहुत से पारंपरिक आभूषण विलुप्ति के कगार में है या बहुत से आभूषण विलुप्त हो गए। शोध कार्य के दौरान वर्तमान में प्रचलित आभूषणों का संकलन कर विश्लेषण किया गया है -

सिहाड़ी माला -

सिहाड़ी माला धुरवा जनजाति के पुरुषों द्वारा धारण करने वाला पारंपरिक आभूषण है। इस आभूषण का निर्माण करने के लिए धुरवा जनजाति के पुरुषों द्वारा सिहाड़ी लता के बीज को तोड़ कर लाया जाता है। सिहाड़ी बीज के ऊपर लगे छिलका के परत को हटा कर बीज को अलग किया जाता है। बीज को निकालने के प्रक्रिया के बाद सुई और धागा की सहायता से पिरो कर हार के समान संरचना दिया जाता है। सुई के

संपर्क आने से पहले सिहाड़ी बीज को माला बनाने के लिए कांटा का उपयोग किया जाता था। सिहाड़ी माला में दो बीजों के बीच एक प्लास्टिक की छिद्र युक्त पाईप लगायी जाती है जो एक सिहाड़ी बीज को दूसरे सिहाड़ी बीज से अलग करते हैं। सिहाड़ी वृक्ष के 137 बिजों से निर्मित माला को धागा में पिरो कर बनाया गया है सिहाड़ी बीज से निर्मित माला की लम्बाई 167 सेंटीमीटर तथा दो बीजों के बीच 1 सेंटीमीटर की लम्बाई में प्लास्टिक की छिद्र युक्त पाईप लगाते हैं। सिहाड़ी माला को मड़ई और ऊलेर नृत्य करने वाले पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है। इस माला को धारण करते समय पुरुष अपने दायाँ हाथ के कंधे से ले जाकर बायाँ हाथ के नीचे से तथा बायाँ हाथ के कंधे से ले जाकर दायाँ हाथ के नीचे ले जाकर धारण करते हैं। सिहाड़ी को धारण करने के बाद यह सिने और पीठ में क्रॉस के समान निशान बनाता है।



चित्र क्रमांक 01 सिहाड़ी बीज से निर्मित धुरवा जनजाति का पारंपरिक आभूषण

कंधी -

अबूझमाड़िया या मुरिया जनजाति के महिलाओं द्वारा अपने बालों में लगाने वाला कंधी को एक आभूषण के रूप में धारण किया जाता है। गोदुल में किसी लड़की द्वारा उस कंधी को उस समय लगाया जाता है जब कोई पुरुष अपने हाथों से उस कंधी को बना कर लाता है। लड़का द्वारा कंधी को प्रेम का इकरार करने के लिए लड़की को दिया जाता है। गोदुल आने के दूसरे यदि उस कंधी को लड़की द्वारा अपने बाल के सुंदर जुड़ा में लगा कर आती है तो लड़का यह समझ जाता है कि लड़की द्वारा उसके प्रेम को स्वीकार कर लिया गया है। गोदुल के मुख्या द्वारा लड़की के जुड़ा में लगे कंधी को देखकर यह समझ लिया जाता है कि अब गोदुल से एक और लड़का और लड़की के विदाई का समय आ गया है। लड़का और लड़की के घर वालों को तथा गाँव के मुख्या को यह संदेश भेज दिया जाता है कि इनके गोदुल से विदाई का समय आ गया है। वर्तमान में गोदुल नामक संस्था तेजी से खत्म हो रहा है तथा विभिन्न मुरिया एवं माड़िया जनजाति के प्रचलन से बाहर हो गया है। ऐसे में इस तरह के आभूषण से संबंधित अवधारणात्मक पक्ष गोदुल के साथ ही विघटित हो रहा है।

टिपा आभूषण -

टिपा गोल वृत्ताकार संरचना युक्त पारंपरिक आभूषण है। इस आभूषण को मुरिया, माड़िया और धुरवा जनजाति द्वारा अपने गले में धारण करते हैं साथ ही किसी-किसी महिलाओं द्वारा एक से अधिक टिपा आभूषण को भी धारण किया जाता है। टिपा आभूषण को बाजार में आभूषण का बिक्री करने वाले सोनार के माध्यम से बनवाया जाता है। आभूषण की गोलाई 54 सेंटीमीटर तथा मध्य से लम्बाई और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। टिपा आभूषण को गले में धारण करने के लिए एक किनारे में गोलाई संरचना युक्त छिद्र बनाया गया है तथा दूसरे किनारे में मछली कांटे के समान संरचना युक्त हुक बनाया गया है। गोलाई युक्त छिद्र में मछली कांटे के समान हुक को फसा कर गले में धारण किया जाता है। इसके साथ ही टिपा को आकर्षक बनाने के लिए दोनों किनारे के छोर में 4 सेंटीमीटर तक चाँदी के पतले तार को लपेटा गया है। इस आभूषण को महिलाओं द्वारा अपने दैनिक जीवन में सभी अवसरों में धारण किया जाता है।

पापड़ी आभूषण –

पापड़ी भारतीय सिक्को से निर्मित अर्ध-वृत्ताकार आभूषण हैं। पापड़ी का निर्माण करने के लिए महिलाओं द्वारा एक या दो रुपए के 500 सिक्के को एकत्रित कर समीप के बाजार में आभूषण बिक्री करने वाले सोनार को देकर बनवाया जाता है। इस एकत्रित सिक्के को सोनार द्वारा गला कर पापड़ी के आकारनुमा ढांचा में डाल कर संरचना दिया जाता है। पापड़ी की सम्पूर्ण लम्बाई 31 सेंटीमीटर है साथ ही इसके अन्दर की गोलाई 07 सेंटीमीटर है। पापड़ी के दोनों छोर को जिस स्थान पर जोड़ा गया है उस स्थान से बाहरी हिस्से से दूसरे छोर की लम्बाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 09 सेंटीमीटर है। पापड़ी आभूषण को महिलाओं द्वारा अपने दोनों पैरों पर अपने जीवन काल में एक बार ही पहना जाता है। यदि पापड़ी आभूषण को किसी कारण वश निकाला जाता है तो उसका उपयोग दुबारा नहीं किया जा सकता हैं क्योंकि पापड़ी को निकालने से वह बीच से टूट जाता हैं। इस कारण आभूषण को धारण करने वाले महिला के मृत्यु के बाद ही उसे निकाल कर उसके समाधि स्थल में डाल दिया जाता हैं।



चित्र क्रमांक 02 चाँदी से निर्मित पारंपरिक आभूषण टिपा



चित्र क्रमांक 03 महिलाओं द्वारा धारण करने पारंपरिक आभूषण पापड़ी

खिनवा आभूषण -

खिनवा चाँदी धातु से निर्मित गोलीय संरचना युक्त पारंपरिक आभूषण हैं। खिनवा के गोलीय प्लेट के बहरी परत में गोलीय बिन्दु के समान संरचना को उभार कर बनाया गया है। प्लेट में निर्मित चतुष्कोणीय संरचना के ऊपर छः बिन्दु के मध्य एक बिन्दु की आकृति को उभारा गया है। इस चतुष्कोणीय संरचना के दोनों ओर त्रिभुज के संरचना में पहले तीन बिन्दु को फिर दो बिन्दु को, एक बिन्दु को उभार कर बनाया गया है। बिंदी के क्रम को एक-एक करके दस की संख्या में उभारा गया हैं। यह उभारा हुआ गोलीय बिन्दु खिनवा के सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करता

हैं। खिनवा के बहरी परत से ही एक बड़ा गोल छिद्र को बाहर की ओर निकलाते हुये भीतरी परत में 2 सेंटीमीटर एक खूटी को बनाया गया है। इस खूटी को ही महिलाओं द्वारा अपने कान में किए गए छिद्र में पहना जाता है। खिनवा की गोलाई 11 सेंटीमीटर, लम्बाई और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। खिनवा आकर में बड़ा तथा थोड़ा भारी होने के कारण इसे रोजमर्रा के कार्य के समय न धारण कर इसे त्यौहारों, नृत्य, विवाह, मंडई, मेला, जात्रा आदि अवसरों पर धारण करते हैं।



चित्र क्रमांक 04 चाँदी से निर्मित कान में धारण करने वाला पारंपरिक आभूषण खिनवा

वातकुन आभूषण -

वातकुन हाथ के उँगलियों में धारण करने वाला रिंग या अंगूठी के समान संरचना युक्त पारंपरिक आभूषण है। वातकुन को एक रुपए के सिक्के से बनाया गया है तथा इसे उँगलियों में धारण करने के लिए सिक्के को गला कर उँगलियों के नाप के आधार पर गोलीय रिंग बनाकर सिक्के से जोड़ा गया है। वातकुन में बने रिंग का आकार महिलाओं के उँगलियों के आकार के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। वातकुन का निर्माण करने के लिए एक ही प्रकार भारतीय सिक्के का उपयोग किया जाता है। इस आभूषण को महिलाओं द्वारा त्यौहार, मंडई, मेला, विवाह, अनुष्ठाणिक क्रियाकलाप के अवसरों पर धारण किया जाता है।

मुईया आभूषण -

मुईया पीतल से निर्मित पापड़ी आभूषण के समान संरचना युक्त आभूषण हैं या इस तरह से कहा जा सकता है कि घसिया जाति के कारीगर द्वारा इस आभूषण को पापड़ी आभूषण के प्रतिरूप देकर निर्माण किया है। मुईया का बाहरी सतह का गोलीय आकार 34 सेंटीमीटर तथा भीतरी सतह का गोलीय आकार 12 सेंटीमीटर हैं, इसके साथ ही मुईया की लम्बाई 09 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 06 सेंटीमीटर हैं। इस आभूषण का निर्माण करने के लिए लिए तालाब किनारे के मुन्द मिट्टी से पापड़ी आभूषण के समान एक ढांचा बनाकर उसे धूप में सुखाया जाता है। ढांचा अच्छी तरह सूखने के बाद नदी किनारे से लाया गया चिकनी मिट्टी का मोटी लेप उस ढांचा के ऊपर लगाया जाता है। पुनः इसे हल्की धूप में सुखाया जाता है। ढांचा को सुखाने के प्रक्रिया के बाद पेपर से ढांचा को रगड़ कर साफ किया जाता है ताकि उस ढांचा में किसी भी प्रकार से खुरदुरा हिस्सा ना रहे। इस ढांचे के ऊपर मधुमक्खी के छत्ते से निकाले गए मोम के पतली रस्सी को निकालकर लपेटा जाता है। मोम से लिपटी ढांचा के ऊपर नदी का चिकनी मिट्टी का लेप लगा कर पुनः धूप में सूखने के लिए रखा जाता है। अंत में खेत की मिट्टी और धान के भूसा को पानी से गीला कर अच्छी तरह मिलाकर ढांचा में लपेटा जाता है। इस ढांचा में एक छिद्र बनाया जाता है जिसके माध्यम से पिघला हुआ तरल पीतल को ढांचा के डाला जा सके। ढांचा पूर्ण रूप से निर्मित होने के बाद उसे दो दिन धूप में सुखने के लिए रख दिया जाता है। मुईया के ढांचा में पीतल को डालने के लिए मिट्टी का कटोरी निर्माण किया जाता है। इस मिट्टी के कटोरी में पीतल के ठोस रूप को रखकर गिली मिट्टी से बन्द कर दिया जाता है। मिट्टी के कटोरी को एक मिट्टी के ही पतले नाली युक्त कीप से जोड़ कर ढांचा से फिक्स कर भट्टी में पकाया जाता है। ढांचा पूर्ण रूप से पकने के बाद उसे भट्टी से निकाल कर ठंडा किया जाता है और ऊपर का मिट्टी को लकड़ी के सहायता से निकाला जाता है। मुईया आभूषण को जात्रा अनुष्ठाणिक क्रियाकलाप के समय अपने देव-देवताओं में चढ़ाया जाता है। इस आभूषण का प्रचलन बहुत ही कम मुरिया, माड़िया और धुरवा जनजाति में है।



चित्र क्रमांक 06 सिक्के से निर्मित पारंपरिक आभूषण वातकुन



चित्र क्रमांक 07 पीतल से निर्मित पारंपरिक आभूषण मुईया

बिडिया मुईया आभूषण -

बिडिया मुईया पीतल से निर्मित कमर में धारण करने वाला आभूषण है। इस आभूषण को मुख्य रूप से अलग-अलग गोलीय प्लेट को एक दूसरे से जोड़ कर बनाया गया है। प्रत्येक गोलीय प्लेट की गोलाई 12 सेंटीमीटर तथा यह 12 गोलीय प्लेटों से मिलकर बना होता है। गोलीय प्लेट के बाहरी सतह को उभार कर बनाया गया है। प्लेट के ऊपर चक्रीय वर्ल के समान आकृति को उकेरा गया है तथा प्लेट के मध्य में गोलीय वर्ल के साथ-साथ उसके चारों ओर चतुष्कोणीय आकृति के संरचना बनाया गया है। इस प्लेट के भीतरी सतह को खोखला बनाया गया है। प्रत्येक गोलीय प्लेट को एक दूसरे से जोड़ने के लिए दो-दो की संख्या में छोटे-छोटे छल्ले को दोनों छोर पर बनाया गया है। गोलीय प्लेट के निचले सिरे में दो की संख्या में पीतल से निर्मित घुंघरू का निर्माण कर लगाया गया है। प्लेट में लगे घुंघरू को 5 सेंटीमीटर की लम्बाई का आकार देकर बनाया गया है। प्लेट के अंतिम दोनों छोर में 6 सेंटीमीटर चपटा पतला प्लेट बना गया है जिससे दोनों सिरों को कमर में पहनाते समय रस्सी से जोड़ा जाता है। बिडिया मुईया आभूषण का कुल लम्बाई 121 सेंटीमीटर है। इस आभूषण का निर्माण ऊपर वर्णित मुईया आभूषण के समान ही किया जाता है। बिडिया मुईया आभूषण का उपयोग अपने देवी के श्रिंगार करने के लिए उनके कमर में पहनाया जाता है।



चित्र क्रमांक 08 पीतल से निर्मित धार्मिक आभूषण बिडिया मुईया

पैजना आभूषण -

पैजना पीतल से निर्मित घंटी या बेल के समान संरचना वाला आभूषण है इस आभूषण को पैर में रस्सी के माध्यम से पहना जाता है। पीतल से निर्मित घंटी को लम्बाई 4 सेंटीमीटर होता है जिसे रस्सी में पिरो कर पैजना का रूप दिया जाता है साथ ही पैजना में 30 से 32 घंटी को रस्सी में पिरो कर बनाया जाता है इसकी कुल लम्बाई 14 सेंटीमीटर होता है। पैजना में मुख्य रूप से पीतल से निर्मित घंटी ही मुख्य होता है जिसे ऊपर वर्णित तकनीक से निर्माण किया जाता है। घंटी का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद इसे पतले रस्सी को घंटी के ऊपरी हिस्से में बने गोलीय छिद्र नुमा आकृति में पिरो कर निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाता है।



चित्र क्रमांक 09 पीतल से निर्मित पारंपरिक आभूषण पैजना

पारंपरिक आभूषण का सामाजिक एवं धार्मिक मान्यता –

भारत तथा विश्व के विभिन्न जातियों एवं जनजातियों द्वारा अपने शरीर के विभिन्न अंगों में आभूषण को धारण करते हैं। इस आभूषण को धारण करने के पीछे विभिन्न समाज में भिन्न-भिन्न प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक मान्यता पाया जाता है। वर्तमान में विभिन्न समाज के महिलाओं द्वारा आभूषण को आकर्षण और सौंदर्यात्मक रूप धारण किया जाता है। इसी तरह गोंड जनजाति के उपजाति मुरिया, माड़िया एवं धुरवा जनजाति द्वारा आभूषण को श्रिंगार के रूप में धारण करने के साथ-साथ इनके जीवन के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ा हुआ है। आभूषण को

धारण करने वाले महिलाओं के मृत्यु के बाद ही उसके उसके शरीर से निकाल कर समाधि में दफनाते समय डाल दिया है। इस आभूषण को अन्य महिला या किसी संबंधी को देने का प्रचलन अन्य समाज के समान नहीं है।

अबूझमाड़िया या मुरिया जनजाति के महिलाओं द्वारा अपने बालों में लगाने वाला कंधी को एक आभूषण के रूप में धारण किया जाता है। गोदुल में किसी लड़की द्वारा उस कंधी को उस समय लगाया जाता है जब कोई पुरुष अपने हाथों से उस कंधी को बना कर लाता है। लड़का द्वारा कंधी को प्रेम का इकरार करने के लिए लड़की को दिया जाता है। गोदुल आने के दूसरे यदि उस कंधी को लड़की द्वारा अपने बाल के सुंदर जुड़ा में लगा कर आती है तो लड़का यह समझ जाता है कि लड़की द्वारा उसके प्रेम को स्वीकार कर लिया गया है। गोदुल के मुख्या द्वारा लड़की के जुड़ा में लगे कंधी को देखकर यह समझ लिया जाता है कि अब गोदुल से एक और लड़का और लड़की के विदाई का समय आ गया है। लड़का और लड़की के घर वालों को तथा गाँव के मुख्या को यह संदेश भेज दिया जाता है कि इनके गोदुल से विदाई का समय आ गया है। वर्तमान में गोदुल नामक संस्था तेजी से खत्म हो रहा है तथा विभिन्न मुरिया एवं माड़िया जनजाति के प्रचलन से बाहर भी गया है। ऐसे में इस तरह के आभूषण से संबंधित अवधारणा नहीं गोदुल के साथ ही विघटित हो रहा है।

नृत्य आदिवासियों का एक प्रमुख विशेषता है। इस नृत्य को करते समय महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा श्रिंगार करने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण का उपयोग करते हैं। इसी तरह धुरवा जनजाति के पुरुषों द्वारा सिहाड़ी माला तथा पीतल से निर्मित पैजना को धारण किया जाता है। माड़िया जनजाति के महिलाओं द्वारा अपने सिर पर पीतल से निर्मित पट्टिका को धारण किया जाता है। यह पट्टिका नृत्य के समय महिलाओं के सुन्दरता को बढ़ाने का कार्य करता है। इस तरह के पट्टिका को कुछ ही क्षेत्र के माड़िया जनजाति के नृत्य करने वाले महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है। महिलाओं द्वारा गले में सोने की पालिश चढ़ा हुआ पीतल के आभूषण को धारण किया जाता है जो इन महिलाओं के नृत्य टोली में अन्य समाज के सम्पर्क में आने के कारण शामिल हुआ है।

निष्कर्ष –

छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति अपने सांस्कृतिक विरासत और कला रूपों के लिए विश्व विख्यात हैं। इसमें मुरिया, माड़िया और धुरवा जनजाति के सांस्कृतिक विरासत एवं कला रूपों में से आभूषण भी अपना मुख्य भूमिका निभाता है। यह आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के अंगों में धारण करने के साथ-साथ इनके जीवन में सामाजिक, धार्मिक, प्रकार्यात्मक महत्व भी रखता है। 1949 से लेकर अभी तक के हुये अध्ययन से ज्ञात होता है कि बस्तर में प्रचलित पारंपरिक आभूषणों का विघटन तेजी से हुआ है तथा बाजार में बिकने वाले आधुनिक आभूषण के संपर्क में आने के कारण पारंपरिक आभूषण की ओर इन लोगो का मोह भंग भी हुआ है। वर्तमान में यही सांस्कृतिक विरासत तथा कला रूप आदिवासी जनजीवन के पहचान से धीरे-धीरे दूर हो रहा है क्योंकि इन्हीं कला रूपों को अन्य समुदाय के लोग व्यापार के दृष्टि से विभिन्न स्थानों में निर्माण कर बेचने का कार्य कर रहे हैं। इस आभूषण तथा कला रूपों को बेचने के साथ-साथ निर्माण के समय इसके आकार एवं स्वरूप में परिवर्तित कर देते हैं। जिसके कारण इस कला रूपों का असल स्वरूप में तेजी से बदलाव हो रहा है तथा विश्व पटल पर जनजाति संस्कृति से संबंधित प्रसार गलत रूपों में हो रहा है। इन कला रूपों में मुख्य रूप से इसके आभूषण, वाद्ययंत्र, नृत्य की शैली आदि है। इस तरह बस्तर में निवासरत जनजाति के कला रूपों का गलत स्वरूप बना कर बेचने से इनके सांस्कृतिक पहचान, देवी-देवताओं से संबंधित भावनात्मक ठेस पहुँचती है। इस तरह के कार्य को सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से रोक लगाकर असल रूप के कला स्वरूपों को विश्व पटल पर प्रसार करना चाहिए।

शोध संदर्भ –

- Bhatt, P., Rani, A., & Gahlot, M. (2018). Female Jewellery of Tharu and BuxaTribe of Uttarakhand. *International Journal of Research Granthaalayah A Knowledge Repository* , 6 (1), 319-328.
- Dwivedi, J. (2016). Indian Tribal Ornaments; a Hidden Treasure. *Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology* , 3 (2), 1-16.
- Elwin, V. (1947). *The Muria and Their Ghotul*. London: Oxford University Press.
- Grigson, W. V. (1938). *The Maria Gonds of Bastar*. London: Oxford University Press.
- Karmakar, D., & Nath, B. H. (2017). A Study on Assamese Traditional Ornaments of Barpeta District of Assam. *International Journal of Humanities & Social Science Studies* , 3 (5), 109-119.
- Mohanty, G. N., & Sahoo, T. (2006). Ornaments of Dongria Kondh. *Orissa Review* , 29-36.
- Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. 2011. (accessed 08 15, 2017)
- Seth, N., & Panda, P. (2018). A Review on Tribal Ornament with Special Reference to Dongria Kondh. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research* , 5 (11), 562-568.
- Shri, K. J. (2018). A Study on the Traditional Ornaments of Ao Tribe of Nagaland. *International Journal of Computer Science and Engineering* , 7 (6), 1-4.
- Sindhu, G., & Jahan, S. (2018). Traditional Ornaments of Lambadi and Koya Women. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences* , 7 (11), 684-691.
- Sood, P., & Gupta, H. (2021). Traditional Costumes and Ornaments of the Gaddi Tribes of Himanchal Pradesh. *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology* , 13 (4), 481-486.
- Yothers, W., & Gangadharan, R. (2020). Narration on ethnic jewellery of Kerala-focusing on design, inspiration and morphology of motifs. *Journal of Textile Engineering & Fashion Technology* , 6 (6), 267-274.